10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

2 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत दो रुपये TWO RUPEES

I/निगरानी/छतरपुर/भू-रा/2017/1888

न्यायालय : राजस्व मंडल, ग्वालियर

प्रकरण क्रं.   /2017 निगरानी

लल्लू उर्फ रामकिशोर तनय अच्छेलाल यादव निवासी बम्हौरीपुरवा, तहसील लवकुश नगर, जिला छतरपुर म.प्र.

– आवेदक

<u>विरूद्ध</u>

1. गजेन्द्र प्रताप सिंह तनय मुन्नीलाल सिंह
2. उमेश दीक्षित तनय जगन्नाथ दीक्षित
3. हरछठियां पाल तनय लक्ष्मन पाल आयु 46 वर्ष
4. नजीर मोहम्मद तनय दौलत मोहम्मद आयु 64 वर्ष
5. श्रीपाल तनय बिन्द्रावन आयु 38 वर्ष समस्त निवासी ग्राम बम्हौरीपुरवा तहसील लवकुश नगर, जिला छतरपुर म.प्र.

– अनावेदकगण

श्री प्रदीप के. श्रीवास्तव, अभि० द्वारा आज दि. 24.6.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 24.6.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.04.17 द्वारा पारित अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर, जिला छतरपुर म.प्र. प्रकरण क्रमांक 102/अपील/2014–2015 में पारित।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक की निगरानी निम्नलिखित है:–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/1888 — लल्लू विरूद्ध गजेन्द्र प्रताप

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 102/अपील/ 2014-15 में पारित आदेश दिनांक 27-4-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 24-06-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

05/2/19

3

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

05/02/19

(आर.के. जैन)
सदस्य